WESTERN U.P.
CHAMBER OF COMMERCE
& INDUSTRY

MASIK PATRIKA
SEPTEMBER 2025

:wupcci01@gmail.com
wupcc23@yahoo.com
: 0121-2661177
0121-4346686
Website: www.wupcc.org
Address: Bombay Bazar,
Meerut Cantt- 250001

- **Patron**

  Dr. Mahendra Kumar Modi

- **President**

  Dr. Brij Bhushan

- **Sr. Vice President**

  Shri Ajay Gupta

- **Jr. Vice President**

  Shri Girish Kumar

  Shri Rahul Gupta

- **Secretary / Editor**

  Smt Sarita Agarwal

  Patrika Committee

- **Chairman**

  Shri Rahul Das

- **Co-Chairman**

  Shri Sushil Jain

- **Members**

  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)

  Shri Rakesh Kohli

  Shri Trilok Anand

  Shri Rajendra Singh

  Shri Atul Bhushan Gupta

- **Co-Editor**

  Ms. Khushi

INDEX

- वैस्टर्न यूपी चैंबर अध्यक्ष बने डॉ. ब्रजभूषण
- कर्ज की किस्त तुरंत कम हो सकेगी
- Finance Minister launches 'Your Money, Your Right' campaign
- स्पीड में ओटीपी सत्यापन लागू
- प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को सरकारी खरीद में नहीं मिल रहा 25 फीसदी आरक्षण
- Exports making Indian factories up to 25% more eco-friendly: IIM study
- Gems & Jewellery exports rises 9.67% in August
- Next-gen GST reforms to boost savings, benefit all sections: PM
- India's Industrial Production growth at 4.0 per cent in August
- अमेरिकी राष्ट्रपति ने दवाओं पर लगाया 100 प्रतिशत टैरिफ, एक अक्टूबर से होगा प्रभावी
- UP Govt Assures Entrepreneurs Amid US Tariff Concerns, Pushes E-Commerce Growth: MSME Minister
- जीएसटी कटौती से त्योहारी बिक्री 25 प्रतिशत तक बढ़ी
- एक-एक यूनिट बिजली का हिसाब देगा स्मार्ट मीटर
- बुनियादी खातों में एटीएम पर शुल्क समाप्त होगा
- RBI developing AI-driven tool to flag fraudulent transactions
- आधार कार्ड अपडेट करने के लिए ज्यादा शुल्क देना होगा
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

वैस्टर्न यूपी चैंबर अध्यक्ष बने डॉ. ब्रजभूषण

वेस्टर्न यूपी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बॉबे बाजार की 80 वीं वार्षिक सामान्य सभा चैंबर सभागार में हुई। तीन वर्ष के लिए पदाधिकारियों और 11 कौंसिल सदस्यों को निर्विरोध चुना। इनमें डॉ. ब्रजभूषण अध्यक्ष और अजय गुप्ता को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, को सर्वसम्मति से चुना। जबकि डॉ. रामकुमार गुप्ता को सर्वसम्मति से चैंबर का संरक्षक चुना। चैंबर की वार्षिक सामान्य सभा में तीन साल के लिए सर्वसम्मति से चुनी गई टीम में कनिष्ठ उपाध्यक्ष राहुल गुप्ता और गिरीश कुमार चुने गए। इनके अलावा 11 कौंसिल सदस्य चुने गए। इनमें एमएस जैन, जय प्रकाश अग्रवाल, पुनीत मोहन शर्मा, राकेश कोहली, मनु रिषी, संजीव जैन, रवि माहेश्वरी, संजय बंसल, राजकुमार कंसल, राजेंद्र सिंह एवं अनुभव अग्रवाल शामिल है। सभी निर्वाचित पदाधिकारियों-सदस्यों को निर्वतमान अध्यक्ष डॉ. रामकुमार गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशांक जैन, नील कमल पुरी ने बधाई दी। अध्यक्ष डॉ. रामकुमार गुप्ता, सेक्रेटरी सरिता अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल, आशुतोष अग्रवाल, अमन अग्रवाल, राजकुमार कंसल, इंजीनियर विनीत कुमार, संदीप गुप्ता ऐल्फा आदि रहे। संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता, महामंत्री संजय जैन समेत पूरी टीम ने संयुक्त व्यापार संघ के संरक्षक डॉ. ब्रजभूषण के वेस्टर्न यूपी चैवा अध्यक्ष चुनने पर बधाई दी।

कर्ज की किस्त तुरंत कम हो सकेगी

आरबीआई ने कर्ज की ब्याज दर से जुड़े नियमों में जरूरी बदलाव किए हैं। इससे बैंकों के लिए ग्राहकों को कम दर पर कर्ज उपलब्ध कराना आसान हो जाएगा। नए नियम 1 अक्तूबर 2025 से लागू होंगे।

वर्तमान में सभी फ्लोटिंग दर वाले कर्ज (जैसे आवास-वाहन ऋण) बाहरी मानक दर (रेपो रेट) से जुड़े रहते हैं। बैंक इस मानक दर के ऊपर थोड़ा अतिरिक्त ब्याज जोड़कर अंतिम ब्याज दर तय करते हैं। नियम यह था कि इस अतिरिक्त हिस्से, जिसे स्प्रेड कहते हैं, को बैंक केवल तीन साल में एक बार ही बदल सकते थे। अब आरबीआई ने बैंकों को छूट दी है कि वे चाहें तो तीन साल से पहले भी इस अतिरिक्त हिस्से को घटाकर ग्राहकों को राहत दे सकते हैं। यानी ग्राहकों के लिए ब्याज दर कम हो जाएगी।

ये नियम लागू होंगे

- जब भी ब्याज दर दोबारा तय होगी तो ग्राहक को यह विकल्प मिलेगा कि वह फ्लोटिंग से फिक्स्ड दर में आ सकते हैं।
- कुछ ग्राहक शुल्कों में तीन साल की लॉक-इन अवधि के बजाय कभी भी कटौती की जा सकती है।
- बैंक पर्सनल लोन लेने वालों को भी ब्याज दर दोबारा तय करते समय फ्लोटिंग से फिक्स्ड दर में आने का विकल्प दे सकते हैं।

Finance Minister launches 'Your Money, Your Right' campaign

Union Finance Minister said that financial assets worth 1.84 trillion are lying unclaimed with banks and regulators, and called on officials to ensure that they reach their rightful owners.

Launching the Apki Poonji, Apka Adhikar (Your Money, Your Right) campaign in Gandhinagar, She said the three-month drive will focus on "Awareness, Access and Action" to help people recover unclaimed funds. Gujarat Finance Minister and senior officials from banks and the finance ministry were present at the event.

"Unclaimed monies are lying with the banks or with the RBI (Reserve Bank of India) or with the IEPF (Investor Education and Protection Fund). We have to find the rightful owners and claimants of those funds and hand the money over to them," She said.

She said assets worth ₹1.84 trillion were unclaimed across banks and regulators in the form of deposits, insurance, provident fund, and shares. "As per the DFS (Department of Financial Services), ₹1,84,000 crore is lying there. It is safe. I can assure you it is absolutely safe. You come when you want with proper papers. Money will be given to you. The government is the custodian for it," she said.

She explained that unclaimed assets are transferred between institutions if they remain unclaimed for long. “From banks, it goes to the RBI in case of deposits, and in case of stocks or similar assets, it goes from Sebi to another centre or the IEPF,” she said.

She highlighted the RBI's UDGAM (Unclaimed Deposits Gateway to Access Information) portal, which allows people to trace and claim their unclaimed deposits. “It is high time that all of us spread the word to everyone,” she added.

Calling on officials to raise awareness, the finance minister said: “The first A is awareness. Build awareness. Tell them that your money is lying there, come with this document and take it. You can become ambassadors and tell people if they have yet to claim their rightful asset.”

She said extending “Access” through the RBI portal and bank help desks would make it easier for people to claim their assets. “The third 'A' is action, where you act on whatever you have, like small bits of papers,” she said, urging a “concerted attempt” to make the campaign successful.

The finance minister credited Prime Minister for encouraging the initiative. “It was the Prime Minister who persuaded us to move from one place to another and call up people asking them to claim their dues. So, bridge the gap and make sure people can take it,” she said.

She also praised the Gujarat Gramin Bank for promising to send its officials to every village in the state to help locate rightful owners of unclaimed deposits.

स्पीड में ओटीपी सत्यापन लागू

तीन बैंकों और डाकघर की सेवाओं में अक्तूबर से जरूरी बदलाव होंगे

एक अक्तूबर से बैंकिंग से लेकर डाक सेवा से जुड़े कुछ नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। भारतीय डाक द्वारा स्पीड पोस्ट के साथ अन्य सुविधाएं भी शुरू की जा रही हैं। इसके तहत वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित सेवा प्रदान की जाएगी। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक समेत अन्य बैंकों ने सेवाओं और उनके शुल्कों में परिवर्तन किया है।

अतिरिक्त शुल्क के साथ मिलेगी सुरक्षित डाक सेवा : अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा भेजे जाने वाला पत्र या सामान किसी एक निश्चित व्यक्ति को मिले। इसके लिए खास सुविधा डाक विभाग द्वारा शुरू की जा रही है। स्पीड पोस्ट करते वक्त ग्राहक को संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर देना होगा। उस नंबर पर ओटीपी सत्यापन के बाद ही सामान या पत्र संबंधित व्यक्ति को सौंपा जाएगा। इस सेवा के लिए स्पीड पोस्ट करते वक्त आपको पांच रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

पेंशन योजनाओं का शुल्क बढ़ा

पेंशन नियामक ने कई पेंशन योजनाओं के लिए शुल्क में बदलाव किया किया है। एनपीएस और यूपीएस में खाता खोलने का शुल्क 18 रुपये और पीआरएएन कार्ड के लिए 40 रुपये शुल्क लगेगा। सालाना मेंटेनेस चार्ज 100 रुपये प्रति खाता होगा। अटल पेंशन योजना और एनपीएस-लाइट में खाता खोलने और मेंटेनेंस चार्ज 15 रुपये होगा।

{ इनका भी रखेंध्यान }

पीएनबी की सेवाएं हुईं महंगी

पंजाब नेशनल बैंक की कई सेवाओं का शुल्क आज से बढ़ जाएगा। चेक बुक जारी कराने का शुल्क एक रुपये तक बढ़ाया गया है। वहीं, लॉकर के आकार और शाखा के आधार पर किराया लॉकर का बढ़ाया गया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में मध्यम लॉकर का सालाना शुल्क 2,500, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 3,000 और महानगरों में 4,000 होगा।

यस बैंक ने किए बदलाव

यस बैंक ने भी शुल्क में बदलाव किया है। स्मार्ट सैलरी एडवांटेज खाता धारकों अब रुपे डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसका शुल्क 199 रुपये होगा। अगर खाते में हर महीने 10,000 रुपये वेतन आता है या उतना औसत बैलेंस रखा जाता है, तो प्रारंभिक और नवीनीकरण शुल्क माफ होगी। अगर तीन माह तक वेतन नहीं आता है तो खाता नियमित हो जाएगा और सालाना 750 तक शुल्क लग सकता है।

यूपीआई पर धन नहीं मंगा सकेंगे

यूपीआई ऐप पर 'रकम मांगने' का अनुरोध भेजने वाली सुविधा भी आज से बंद हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने बैंकों और भुगतान प्रदाता कंपनियों को एक अक्तूबर से यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट सुविधा बंद करने का निर्देश दिया था। यह ऐसी सुविधा थी, जिसके जरिए कोई भी उपयोगकर्ता किसी दूसरे व्यक्ति से रकम की मांग कर सकता था।

एनपीएस में अधिक निवेश होगा

एनपीएस में। अक्तूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत अब गैर-सरकारी सदस्यों को पूरी रकम को कई इक्विटी योजनाओं में निवेश करने की अनुमति होगी। अब तक यह सीमा 75 फीसदी तक थी। इस बदलाव से एनपीएस सदस्यों को अपने पेंशन कोष में अधिक मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा।

प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को सरकारी खरीद में नहीं मिल रहा 25 फीसदी आरक्षण

यूपी में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्दाम (एमएसएमई) इकाइयों को प्रोत्साहन के लिए जेम टेंडर में 25 फीसदी आरक्षण और छूट का शासनादेश पांच साल बाद भी लागू नहीं किया गया है। लघु उद्यमियों ने इसे लागू करने की मांग की है। कहा, अगर शासनादेशं के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया तो छोटे उद्यम बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे। बड़ी कंपनियां पहले ही छोटे उद्यमियों के लिए चुनौती बनी हैं। इस संबंध में राज्य कर विभाग में जेम के जरिये की जा रही कंप्यूटर खरीद में शासनादेश लागू करने का अनुरोध किया गया है। जल्द गृह विभाग में भी कंप्यूटरों की बड़ी खरीद होनी है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य ये भी है कि जेम पोर्टल के माध्यम से अधिकतम छोटे उद्यमियों ने पांच साल पहले जारी शासनादेश को लागू करने की मांग की सरकारी खरीद सुनिश्चित कर पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली लागू हो, जिसका लाभ छोटे उद्यमियों को हो, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। हाल में राज्य कर विभाग में जेम बिडिंग को लेकर विभागीय आयुक्त को एक फर्म ने पत्र लिखकर जेम बिड में एमएसएमई के लिए निर्धारित छूट व आरक्षण देने का अनुरोध किया है। पत्र के मुताबिक शासन के आदेश के अनुसार पंजीकृत इकाइयों को अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट से छूट, टर्नओवर व अनुभव मानदंडों में छूट और कुल निविदाओं में 25% आरक्षण का अधिकार प्राप्त है। फर्म ने ये भी अनुरोध किया है कि आगामी सभी जेम निविदाओं में इन प्रावधानों को सुनिश्चित किया जाए, ताकि यूपी आधारित एमएसएमई का विकास हो सके। इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले (लाइफकेयर इनोवेशंस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) का हवाला भी दिया गया है, जिसमें एमएसएमई के अधिकारों को सभी विभागों द्वारा मान्यता देने की बात कही गई है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती और प्रोविंशियल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जैसे एमएसएमई संगठनों का कहना है कि सरकारी विभागों में इन प्रावधानों का पालन नहीं हुआ तो छोटे उद्यम बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे। वहीं, सरकार द्वारा घोषित नीतियों का उद्देश्य भी अधूरा रह जाएगा

Exports making Indian factories up to 25% more eco-friendly: IIM study

Exports not only boost business growth but also make Indian factories greener, a study by the Indian Institute of Management (IIM), Lucknow, has found after analysing two decades of firm-level data.

Described as the first-of-its-kind, the study examined whether export orientation encourages Indian manufacturing companies to adopt greener practices. Led by the professor of Economics and Business Environment at IIM-Lucknow, it has been published in the prestigious Energy Economics (Elsevier) journal.

While trade is often criticised for raising environmental pressures in developing countries, there is limited causal evidence on whether exporting firms adopt greener practices, especially in terms of energy use.

By applying the Propensity Score Matching Difference-in-Differences (PSM-DID) methodology, the researchers addressed this gap and explored several important insights.

"Our research shows that exports don't just boost growth, they also make Indian factories greener. Within a few years of entering global markets, companies become more energy efficient, largely by adopting advanced technologies.

"This highlights how trade can be a partner in India's journey toward sustainable and competitive manufacturing, apart from creating jobs," Sharma told PTI.

The findings of this study challenge the general perception that globalisation harms the environment in developing countries. Instead, it shows that international trade can become a driver of green growth to meet India's climate goals under the Paris Agreement.

According to the study, adoption of advanced foreign technologies improves a firm's energy efficiency by 25 per cent within three years, compared to similar non-exporters.

"We found that exposure of non-exporting firms to export-intensive industries leads to efficiency improvements. The findings also validate the robustness of results across multiple methods, alternative measures, and extended samples," He said.

The professor explained that the firms entering the export markets tend to improve their energy efficiency, and these improvements persist over time.
"Mechanism analysis further reveals that these gains are largely driven by access to more advanced foreign technologies. In this way, trade may also serve as a channel for technology diffusion.
"By highlighting this connection, our study contributes to policy discussions on aligning trade with environmental objectives, particularly in developing economies facing the dual challenges of economic growth and ecological responsibility," He said.
According to the professor, the findings of the study are relevant for policymakers who can induce exports by aligning trade policy with energy efficiency objectives.
"For instance, promoting foreign technology access, providing incentives for firms to upgrade to energy-efficient processes and reinforcing environmental standards among export-oriented industries," He said.

Gems & Jewellery exports rises 9.67% in August

Imports of gems and jewellery have grown marginally by 5.17% from 12,887.18 crore in August 2024 compared with `16,896.04 crore in August this year

The exports of gems and jewellery have grown by 9.67% on year-on-year basis from `16,896.04 crore in August 2024 to `18259.08 crore, said the data released by the Gems and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC).
According the industry body for gems and jewellery, the primary growth trigger is the rush by Indian exporters amid US tariffs. Meanwhile, the imports of gems and jewellery have grown marginally by 5.17% from 12,887.18 crore in August 2024 compared with `16,896.04 crore in August this year, reflecting a steady demand for raw and semi-finished products in the country to support production for the upcoming holiday season internationally as well as domestic festive demand.
The overall gross export of cut and polished diamonds decline by 2.2% from `8,705.35 crore to 8,508.66 crore in August this year. The decline in exports of cut and polished diamonds in August 2025 can be attributed to the rising affinity towards yellow metal in the US and Europe, where sluggish spending on luxury items caused overall demand fall.
Retailers across major market are also witnessing a slump in sales, inflating the unsold inventory which slowed down new purchases. Parallely, the continued increase in the global demand for lab-grown diamonds on the backdrop of being environment-friendly and cost-effective have also eaten up some share of natural diamond from the demand pie.
The overall gross imports for the products rose by 0.49% from 981.40 crore in August 2024 to 986.18 crore for the same period this year. The total export of plain gold jewellery rose to `3672.77 crore in August 2025 against `2155.95 crore, growing at 70.36%.
MD, Kama Jewelry, said in a statement, “The Indian gems & jewellery sector is evolving with sheer agility to absorb the jitters of US tariffs and economic uncertainty it has created. There were strong numbers in August 2025 showing growth and density of exports to international markets, highlighting the rush among the exporters community to conduct trade early and get saved from the tariffs. Parallelly, fresh opportunities as close alternatives to the US due to trade deals (eg: India-UAE CEPA), and consumers are increasingly gravitating toward sustainable, premium, and custom jewellery. Highly priced gold, global volatility, and volatile metal markets are persistent challenges, but coming out of the upcoming festive and wedding season will bring new energy to the sector.”

Next-gen GST reforms to boost savings, benefit all sections: PM

Prime Minister shared an open letter on his X account, announcing that next-generation Goods and Services Tax (GST) reforms have begun to take effect, marking the launch of the nationwide 'GST Bachat Utsav'.

Enhance savings

PM said the reforms would enhance savings and deliver direct benefits to all sections of society, while also driving growth across the country.

"These reforms will boost savings and directly benefit every section of society, be it farmers, women, youth, the poor, the middle class, traders or MSMEs. They will encourage greater growth and investments and accelerate progress in every state and region," he said.

Stress on 'Swadeshi'

With Diwali approaching in a month, PM appealed to shopkeepers and consumers to buy and sell products that are 'Made in India'. He emphasised self-reliance as the path to achieving the goal of a developed India and said the GST reforms would help strengthen the local manufacturing base.

"Our collective goal is Viksit Bharat by 2047. To achieve it, walking on the path of self-reliance is imperative. These reforms strengthen our local manufacturing base, paving the way towards Aatmanirbhar Bharat," Modi said.

He added: "This festive season, let us resolve to support products that are Made in India. This means buying swadeshi products that carry the sweat and toil of an Indian in their making, irrespective of the brand or company. I appeal to shopkeepers to sell 'Made in India' products. Let us proudly say — what we buy is swadeshi, what we sell is swadeshi."

Poverty reduction

PM also highlighted the rise of a neo-middle class, noting that in recent years around 250 million people in the country have moved out of poverty.

"In the last few years, 250 million people have risen above poverty and formed an aspirational neo-middle class. Further, we have strengthened the hands of our middle class with massive income tax cuts, which ensure zero tax up to an annual income of 12 lakh," the prime minister said.

He added that the combination of income tax cuts and next-generation GST reforms would provide benefits of around 2.5 trillion for the people.

"If we combine the income tax cuts and the next-generation GST reforms, they add up to savings of nearly 2.5 trillion for the people," he said.

India's Industrial Production growth at 4.0 per cent in August

India's industrial production growth accelerated to 4 per cent August, from 4.3 per cent in July, data released by the National Statistical Office (NSO) on Monday showed. The growth comes due to good performance of the mining sector, according to official data released on Thursday. The latest NSO data showed that the mining sector's output growth rose to 6.0 per cent in August 2025 from -7.2 in July.

Manufacturing production accelerated by 3.8 per cent from 6.0 in July, while power production rose by 4.1 per cent in August 2025 from 3.7 per cent in July 2025.

During the April-August period of FY26, the country's total industrial production grew by 2.8 per cent compared to 4.3 per cent a year ago.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दवाओं पर लगाया 100 प्रतिशत टैरिफ, एक अक्टूबर से होगा प्रभावी

• भारत पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं, भारी ट्रकों पर 25 प्रतिशत टैरिफ
• घोषणा से अमेरिका की फार्मा कंपनियों के शेयर चढ़े, भारतीय फार्मा शेयरों में गिरावट

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया को फिर से झटका देते हुए ब्रांडेड व पेटेंट दवाओं पर 100 प्रतिशत, रसोई कैबिनेट व बाथरूम वैनिटी (सिंक और शीशे समेत पूरी कैबिनेट) पर 50 प्रतिशत, कुशन वाले फर्नीचर पर 30 प्रतिशत और भारी ट्रकों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये टैरिफ एक अक्टूबर से प्रभावी होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस घोषणा से अमेरिकी फार्मा कंपनियों के शेयर चढ़ गए हैं, वहीं भारतीय फार्मा शेयरों में गिरावट देखी गई। दवाओं पर अमेरिकी टैरिफ उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने अमेरिका में अपने संयंत्र की आधारशिला रख दी है या जिनका संयंत्र निर्माणाधीन है। भारतीय फार्मा उद्योग का कहना है कि भारत पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा क्योंकि वह ज्यादातर अमेरिका को जेनरिक दवाओं का निर्यात करता है जो इस नए टैरिफ में शामिल नहीं हैं।

टूथ सोशल पर उक्त घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने हालांकि इसका कोई कानूनी आधार नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि नए टैरिफ अमेरिकी विनिर्माण उद्योग की रक्षा करने के मद्देनजर लगाए गए हैं। आयातित रसोई कैबिनेट और कुशन वाले फर्नीचर पर टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य कारणों से आवश्यक था। माना जा रहा है कि नए टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अनिश्चितता का एक और दौर लाएंगे, जहां रोजगार के अवसर पहले से कम हैं और मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है। इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ जाएंगी और रोजगार के अवसरों में और कमी आ सकती है। चौंकाने वाली है क्योंकि ट्रंप ने पूर्व में कहा था कि दवाओं पर टैरिफ को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ताकि कंपनियों को संयंत्र दवाइयों पर टैरिफ की घोषणा लगाने और उत्पादन को दूसरी जगह ले जाने का समय मिल सके। अगस्त में उन्होंने कहा था कि वह दवाओं पर "कम टैरिफ" लगाकर शुरुआत करेंगे और एक वर्ष या उससे अधिक समय में इसे बढ़ाकर 150 प्रतिशत और यहां तक कि 250 प्रतिशत तक कर देंगे। व्हाइट हाउस का कहना है कि टैरिफ की धमकी के कारण ही जानसन एंड जानसन, एस्ट्राजेनेका, रोश, ब्रिस्टल मायर्स में निवेश की घोषणा की। जापान, स्विक्ब और एली लिली सहित कई यूरोपीय यूनियन व ब्रिटेन के साथ प्रमुख दवा कंपनियों ने अमेरिका व्यापार समझौतों में ऐसे प्रविधान शामिल हैं जो दवाइयों जैसे विशिष्ट उत्पादों पर शुल्क की सीमा तय करते हैं।

UP Govt Assures Entrepreneurs Amid US Tariff Concerns, Pushes E-Commerce Growth: MSME Minister

Uttar Pradesh MSME Minister said the state government had reached out to entrepreneurs concerned about the impact of US tariffs and assured them that no enterprise would be adversely affected.

Speaking at the Uttar Pradesh International Trade Show (UP ITS) in Greater Noida, He noted that delegations had visited industrial hubs such as Bhadohi, Mirzapur, and Kanpur to engage with business owners. "Our complete effort was to ensure that no one's enterprise was affected. Uttar Pradesh is the growth engine of India. Our government's goal is to make UP an e-commerce hub of India," he said, reported ET.

Addressing a session on 'E-Commerce: The New Frontier for Indian Exports', Industrial Development Minister highlighted the state's progress in expanding export opportunities. He said the UP ITS would not only support entrepreneurs from the state but also benefit businesses across India, while creating investment prospects for young entrepreneurs.

Gupta emphasised that Uttar Pradesh's exports had more than doubled over the past eight years, rising from Rs 84,000 crore to Rs 1,86,000 crore.

He added that the state's Export Promotion Policy 2025–30 was designed to ease compliance for exporters and had been widely welcomed by industry stakeholders.

The ministers underscored the state's focus on supporting small enterprises and promoting the 'Local to Global'. They said efforts were underway to ensure that products from small entrepreneurs gain wider access to global markets.

जीएसटी कटौती से त्योहारी बिक्री 25 प्रतिशत तक बढ़ी

आफलाइन से लेकर आनलाइन प्लेटफार्म तक इलेक्ट्रानिक्स और एफएमसीजी उत्पादों की हो रही जबरदस्त खरीदारी

80 हजार कारों की बिक्री की मारुति ने 22-25 सितंबर के बीच	**38 करोड़ लोगों ने दो दिनों में एमेजोन पर पसंदीदा उत्पाद देखे**	**20 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई कपड़े व फुटवियर की बिक्री में**

जीएसटी स्लैब के ताजा बदलाव और दरों में कटौती का असर त्योहारी सीजन में होने वाली बिक्री पर साफ-साफ दिख रहा है। मार्केट रिसर्च कंपनी रेडसीर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नवरात्र के दौरान इलेक्ट्रानिक्स, एफएमसीजी व फैशन जैसे उत्पादों की बिक्री में पिछले साल के त्योहारी सीजन के मुकाबले 23-25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दिख रही है। नवरात्र की शुरुआत 22 सितंबर से हुई है और इसी दिन से जीएसटी दरों में कटौती का फैसला अमल में आया है। कार कंपनियों ने भी त्योहारी सीजन में रिकार्ड बिक्री की है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने 22-25 सितंबर के बीच 80 हजार इकाइयों की रिकार्ड बिक्री की है। हुंडई का भी कहना है कि अभी तक पिछले साल त्योहारी सीजन के मुकाबले उनकी बिक्री दोगुनी दिख रही है। आनलाइन प्लेटफार्म पर इस साल छोटे शहरों के खरीदारों की संख्या काफी बढ़ी हुई दिख रही है। एमेजोन इंडिया के मुताबिक, 22 सितंबर से जीएसटी बचत सेल शुरू होने के बाद उनके प्लेटफार्म पर मात्र दो दिनों में 38 करोड़ लोगों ने विजिट किया है, जो अपने आप में रिकार्ड' है। इनमें से 70 प्रतिशत विजिटर्स मेट्रो शहरों से बाहर यानी टियर-2 व टियर-3 शहरों के थे। 2,500 रुपये से कम मूल्य वाले कपड़े व फुटवियर अब सिर्फ पांच प्रतिशत जीएसटी रह गया है। इससे इनकी बिक्री में भी पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। फर्नीचर पर भी अब पांच प्रतिशत जीएसटी है, इसलिए इसकी बिक्री में भी बढ़ोतरी

हो रही है। 32 इंच से अधिक आकार वाले टीवी और एसी पर अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगने से इनकी कीमतों में आठ प्रतिशत तक की कमी आई है। ग्राहक इसे नया मौका मान रहे हैं। गत 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिवाली से जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान किया था। उसके बाद से ही लोगों ने इलेक्ट्रानिक्स और आटोमोबाइल्स की खरीदारी को त्योहारी सीजन के लिए टाल दिया था। खपत बढ़ने से रोजगार में भी होगी बढ़ोतरी: आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारी सीजन में होने वाली इस जबरदस्त बिक्री से सरकार की योजना कामयाब होती दिख रही है। अर्थव्यवस्था में खपत कम बढ़ने से मैन्यूफैक्चरिंग व कारोबार स में इजाफा होगा जिससे रोजगार में बढ़ोतरी होगी। आनलाइन कंपनियों ने त्योहारी सीजन में वस्तुओं की आपूर्ति व संबंधित कार्यों के लिए देशभर में दो लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का प्लान बनाया है। गारमेंट मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी रिचलुक के निदेशक ने बताया कि जीएसटी में कटौती से इस बार त्योहार में बिक्री की सारी कमी पूरी हो जाएगी।

जीएसटी कटौती से अगले वर्ष महंगाई कम करने में मदद मिलेगी

वित मंत्रालय ने अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा है कि जीएसटी दरों में हालिया कटौती से अगले साल महंगाई कम करने में मदद मिलेगी और देश की विकास संभावनाओं में और तेजी आएगी। मंत्रालय का कहना है कि फिलहाल जोखिम प्रबंधनीय प्रतीत होते हैं, लेकिन वे मौजूद हैं। यदि टैरिफ अनिश्चितताएं बनी रहती हैं, तो निर्यात क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा। इससे घरेलू रोजगार, आय और उपभोग पर भी असर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय ने आर्थिक समीक्षा में कहा कि नए एच-1बी वीजा की फीस में बढ़ोतरी करने का अमेरिकी सरकार का फैसला व्यापार अनिश्चितताओं के जोखिमों की याद दिलाता है, जो अब तक आप्रभावित सेवा क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। केंद्र सरकार के सुधार एजेंडे से व्यापार व्यवधानों के प्रतिकूल प्रभावों से अर्थव्यवस्था को बचाने की उम्मीद है। मंत्रालय ने कहा कि निकट भविष्य में स्थिर, सुधार-संचालित वृद्धि की संभावना है, जो व्यापक आर्थिक अनुशासन और अनुकूल आर्थिक कूटनीति पर आधारित है।

एक-एक यूनिट बिजली का हिसाब देगा स्मार्ट मीटर

बिना किसी पूर्व सूचना के स्मार्ट मीटर को अचानक प्री पेड में बदला जा रहा है। स्मार्ट प्री पेड मीटर तेज चलता है। बकाया होने पर बिजली काट दी जा रही है। पहले बिल कम आता था और अब दोगुणा हो गया है। पता नहीं चल रहा है कि बिजली की खपत कैसे बढ़ गई है, जबकि घर में बिजली उपकरण तो पहले वाले ही हैं। ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक (कामर्शियल) ने दिए। उन्होंने बताया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में कुछ भ्रम है। मीटर बिल्कुल ठीक है। पारदर्शिता इतनी है कि उपभोक्ता एक-एक यूनिट का हिसाब रख सकता है। यही नहीं, चौबीस घंटे में किस समय बिजली ज्यादा खपत हुई। लोड डिमांड किस समय ज्यादा हुई। बैलेंस कितना है। यह सब यूपीपीसीएल स्मार्ट एप डाउनलोड करके जान सकते हैं। मध्यांचल निदेशक ने बताया कि स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ता का बिल अगर बकाया भी है तो बिजली शाम छह बजे से सुबह आठ बजे तक नहीं कटेगी। खास बात है कि अगर बैलेंस नहीं है और दूसरे दिन सार्वजनिक अवकाश है तो भी बिजली सप्लाई नहीं कटेगी। बैलेंस खत्म होने पर तीन दिन का ग्रेस पीरियड भी दिया जा रहा है। स्मार्ट प्री पेड मीटर के वर्तमान में तो फायदे हैं ही, भविष्य में भी इसके अनेक फायदे होने वाले हैं। एप पर ही प्रतिदिन रीडिंग की खपत और बिल देख सकते हैं। उनके मुताबिक, हर स्मार्ट प्रीपेड मीटर की खेप में तीन मीटर को जांच के लिए सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीपीआरआइ) भेजा तभी मीटर लगाए जाते हैं। निदेशक ने बताया कि उपभोक्ता किसी भी समस्या पर 1912 पर शिकायत कर सकते हैं। अमूमन बकाया होने पर स्मार्ट मीटर के कनेक्शन कट जाते हैं और फिर पैसा जमा करने के बाद जल्दी रीकनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसे मीटरों को जल्द ही बदलवाने का काम शुरू होगा। इसके अलावा यूपीपीसीएल और यूपीपीसीएल स्मार्ट एप पर दिख रहे बिल के अंतर को जल्द ठीक किया जाएगा।

स्मार्ट प्री पेड के उपभोक्ता ऐसे देखें बिल

प्ले स्टोर पर जाकर यूपीपीसीएल स्मार्ट एप डाउनलोड करें। फिर लागिने/रजिस्ट्रेशन करके साइन अप करना होगा। इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर डालना होगा, जिस पर ओटीपी आएगा। फिर उपभोक्ता को पासवर्ड जनरेट करना होगा। इस प्रकिया के बाद उपभोक्ता अपनी शेष धनराशि, बिजली की खपत, 12 ट्रांजेक्शन सहित कई जानकारियां ले सकते हैं।

बैलेंस कम होने पर चार मैसेज आएंगे

अगर उपभोक्ता के स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बैलेंस कम है तो मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। जब कुल राशि का 30 प्रतिशत बचेगा तो मैसेज आएगा, फिर 20 प्रतिशत पर, तीसरा मैसेज 10 प्रतिशत धनराशि बचने पर और अंतिम मैसेज शून्य बैलेंस से पहले आएगा। अचानक कनेक्शन नहीं काटा जाता है।

बुनियादी खातों में एटीएम पर शुल्क समाप्त होगा

भारतीय रिजर्व बैंक बुनियादी बचत बैंक जमा खातों के लिए नये निर्देश जारी करेगा, जिसमें एटीएम-डेबिट कार्ड पर वार्षिक शुल्क समाप्त करने की भी योजना है।

केंद्रीय बैंक ने निर्देश का प्रारूप अपनी वेबसाइट पर साझा किया है और इस पर आम लोगों तथा अन्य हितधारकों से राय मांगी है। इसमें कहा गया है कि सभी बैंकों के लिए बुनियादी बचत बैंक जमा खाते की सुविधा देना जरूरी होगा और इसे सामान्य बैंकिंग सेवा माना जाएगा, जो सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी। आरबीआई ने इन खातों पर कुछ सुविधाओं की सूची भी जारी की है, जो बिना किसी शुल्क के और बिना न्यूनतम बैलेंस की अर्हता के उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आरबीआई ने कहा है कि इन खातों पर एटीएम, कैश डिपॉजिट मशीन और डिजिटल माध्यमों से लेनदेन की पूरी सुविधा होनी चाहिए। ग्राहक जितनी बार और जितना पैसा चाहे जमा करा सकता है।

खाता खोलते हुए राशि जमा करने का दबाव न डालें बैंक

साथ ही प्रारूप निर्देश में यह भी कहा गया है कि बैंक बीएसबीडी खाता खोलते समय उसमें कुछ राशि जमा कराने के लिए ग्राहक पर दबाव नहीं डालेंगे। बैंकों को खाता खोलने के लिए आने वाले लोगों को इन खातों के बारे में जागरूक करना होगा और अन्य बचत खातों तथा इनमें अंतर के बारें में बताना होगा। कोई ग्राहक अपने मौजूदा बचत खाते को शाखा में या ऑनलाइन आवेदन देकर बुनियादी बचत बैंक जमा खाते में बदलवा सकेगा।

RBI developing AI-driven tool to flag fraudulent transactions

RBI governor said the platform is currently under development at the RBI Innovation Hub which is building prototype.

To strengthen the security of the rapidly growing digital payments ecosystem, the Reserve Bank is implementing a new ‘digital payments intelligence platform’ that will leverage artificial intelligence to identify potentially risky transactions before they are completed.

Speaking to the press after the monetary policy committee (MPC) meeting, RBI governor the platform is currently under development at the RBI Innovation Hub which is building prototype.

An entity is also being set up to operate the system once it is launched, he said without disclosing a timeline for the rollout of the proposed platform, which once operational will collect and analyse data from various sources to identify potential threats and prevent fraudulent activities.

“The idea is to gather information from all available sources and train an AI system on this data,” he said, adding, “this system will flag potentially risky transactions in real-time. Based on these alerts, either the customer or the bank can decide whether to proceed with the transaction or not. We expect this to have a meaningful impact in reducing fraudulent activity in the system," said deputy governor, who is in-charge of payments and settlement departments along with information technology department at the central bank,

While stressing that fraud levels in digital payments space remain low, he underscored the need for continued vigilance.

“If you look at the number of fraud cases relative to total transactions in UPI and similar platforms, they remain well under control. But with the exponential growth of digital payments, ensuring security is a priority,” He said.

आधार कार्ड अपडेट करने के लिए ज्यादा शुल्क देना होगा

यूआईडीएआई के नए नियम पहली अक्तूबर 2025 से लागू हुए

आधार कार्ड में नाम, पता या फोटो जैसी जानकारी अपडेट करना अब महंगा हो गया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार अपडेट से जुड़े शुल्क में बदलाव किया है।

अब आधार कार्ड में किसी भी तरह का बदलाव कराने के लिए पहले की अपेक्षा 15 से 25 रुपये तक अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। नए नियम एक अक्तूबर 2025 से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2028 तक लागू रहेंगे। इसके बाद यूआईडीएआई ने अगले चरण यानी एक अक्तूबर 2028 से 30 सितंबर 2031 के लिए भी नई दरें तय कर दी हैं।

कौन-कौन सी सेवा महंगी : इन सेवा में नाम, पता, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि जैसी जानकारी को अपडेट करना शामिल है। फिंगरप्रिंट, आईरिस या फोटो अपडेट करने के लिए पहले 100 रुपये देने होते थे अब 125 रुपये देने होंगे। इसी तरह 75 रुपये वाली सर्विस अब 90 रुपये हो गई है।

बच्चों-किशोरों को राहत

पांच से सात साल और 15 से 17 साल की उम्र के बच्चों/किशोरों का बायोमेट्रिक अपडेट एक बार निःशुल्क रहेगा। इसके अलावा सात से 15 साल के बच्चों के लिए 30 सितंबर 2026 तक बायोमेट्रिक अपडेट का शुल्क माफ किया गया है। ये कदम समय पर अपडेट को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। यदि कोई व्यक्ति अन्य उम्र में बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट कराना चाहता है, तो उसे शुल्क देना होगा।

रंगीन प्रिंट हुआ महंगा

अगर आप अपने आधार में एड्रेस या अन्य दस्तावेज ऑनलाइन अपडेट करते हैं, तो 14 जून 2026 तक यह सेवा मुफ्त है। लेकिन अगर आप यही अपडेट आधार सेवा केंद्र पर करवाते हैं, तो 50 रुपये की जगह 75 रुपये देने होंगे। आधार की कलर कॉपी लेना चाहते हैं, तो अब इसके लिए भी आपको शुल्क चुकाना होमा। इसका शुल्क 40 रुपये (2025-2028) और फिर 50 रुपये (2028-2031) तय किया गया है।

घर पर सेवा के लिए 700 फीस

यूआईडीएआई ने घरेलू आधार सेवाओं का भी शुल्क तय किया है। अगर कोई व्यक्ति घर बैठे आधार अपडेट कराना चाहता है, तो इसके लिए उसे 700 रुपये (जीएसटी सहित) देने होंगे। अगर उसी घर में और लोग भी सेवा लेना चाहते हैं, तो हर अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 350 रुपये का चार्ज लगेगा। ये शुल्क जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक अपडेट की सामान्य फीस से अलग होंगे।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाझा संख्या-194/36-3-2014-07 (न्यू० जे०) /4 दिनांक: 28-1-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/36-03-2019 -931(न्यू० दे०)/06 दिनांकः 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी है उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जनवरी 2025 से जून 2025 के औसत अंक 414 पर दिनांकः 1-10-2025 से 31-3-2026 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगाः-

दृष्टान्त-रूपये 5750/- प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-414 पर दिनांकः 1-10-2025 से 31-3-2026 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(414-216)
……..... .X5750= 50-5271/- प्रतिमाह
216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें ।

क्रमांक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांक: 1.04.2025 से 30.9.2025 तक कुल मजदूरी (रूपये में)	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू० में	दिनांक: 1.10.2025 से 31.3.2026 तक	
				दिनांक:1.10.2025 से 1.3.2026 तक	कुल मजदूरी (रूपये में) (3+5)	दैनिक मजदूरी (रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	10994.21	5271	11021	423.88
2	अर्धकुशल	6325	12093.63	5798	12123	466.26
3	कुशल	7085	13546.78	6495	13580	522.30

2 इंट भट्ठा उद्योग नियोजन में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी निम्नवत् हैः-

क्रमांक	श्रेणी	दिनांक: 1.10.2025 से 31.3.2026 तक		
1 2	अकुशल कुशल	उपरोक्त तालिका के क्रमांक 1 व 3 के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा		
		मूल मजदूरी	परिवर्तनीय महगाई भत्ता रू में	कुल मजदूरी (रूपय में)
3	पथेरा	रू-365	रू-335	रूपय-700/-प्रति हज़ार
	भराईवाला 500 मीटर की दूरी तक 500 मीटर से अधिक	रू-110 रू-132	रू-101 रू-121	रूपय-211/-प्रति हज़ार रूपय-253/-प्रति हज़ार
4	निकासी वाला	रू-110	रू-101	रूपय-211/-प्रति हज़ार

1. रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग
3. मिष्ठान उद्योग।
4. वासित पेयो (एरोटेड ड्रिक्स) के विनिर्माण।
5. फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6. परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
7. पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
8. डेरी और मिल्क डेरी।
9. सिल सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10. बाँध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
11. उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
12. प्राइवेट अस्पताल (नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
13. ढलाई घर।
14. धातु उद्योग।
15. टिन प्लेट शॉपिग और टिन प्रिंटिंग।
16. ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
17. चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माणशाला।
18. चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी सकर्म।
20. निजी पुस्तकालय।
21. काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
22. प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित है
23. तम्बाकू विनिर्माण।
24. धर्मशाला।
25. यानिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है
26. दुकानों में
27. वाणिज्य अधिष्ठानों में।
28. चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29. तेल मिल।
30. लोक मीटर परिवहन।
31. योंत्रिक परिवहन कर्मशाला।
32. आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संक्रियाओं।
34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
35. चिकन के कार्य।
36. दियासलाई उद्योग।
37. आइसकैण्डी/आईसक्रीम चिनिर्माणशाला।
38. बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
39. बर्फ विनिर्माणशाला।
40 .एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशचला।
41. लाण्ड्री और धुलाई अधिष्ठान।
42. जिल्दसाजी।
43. कोल्ड स्टोरेज
44. पाटरी, सिरेमिक्स या रिफैक्ट्रीज।
45. निजी मुद्रणालय।
46. सिनेमा उद्योग।
47. कपड़ा छपाई।
48. सिलाई उद्योग।
49. ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मेसी।
50. क्लब
51. हथकरघा (सिल्क की साड़ी बुनाई) जरी के कार्य।
52. कपडा धोने या प्रसाधन के साबन या सिलिकेट या साबन का चर्ण या प्रशालक विनिर्माण।

53. ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान
54. वाण्डसारी।
55. हथकरघा उद्योग।
56. शक्ति चालित करघा उद्योग।
57. छोटा (मिनिएचर) बल्ब एवं कॉच उत्पादों के निर्माण।
58. कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
59. ईंट भट्टा उद्योग।
60. ताला उद्योग के नियोजन में।
61. पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
62. किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी (सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित / हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
63. बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण (प्रतिशेध) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के निषिद्ध किया-कलाप सम्मिलित नहीं है।
64. घरेलू कामगारों का नियोजन।
65 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
66. एस०पी०जी० वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
67. टैक्सीज, आटोरिक्शा / टैम्पों एवं ट्रैवलिंग अभिकरण में नियोजन।
68. केबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
69. गैर सरकारी संगठन (एन०जी०ओ०) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
70. विक्रय संवर्धन (विक्रय संवर्धन (सेवा शर्त) अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
71. हेयर कटिंग सैलून एवं व्यूटी पार्लर (पुरूष एवं महिलायें) में नियोजन।
72. कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
73. काल सेन्टर/आई०टी० इण्डस्ट्रीज / टेलीकालिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
74. ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हो, में नियोजन

(मार्कण्डेय शाही)
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

संख्या 386 प्रवर्तन-(एम०डब्लू०)/15 दिनांक: 29/09/2025

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजको व उनके प्रतिनिधियों द्वारा भोंगे जाने पर उपलब्ध कराए।

2. अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-३, बापू भवन, लखनऊ।

3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (वेज सेल) भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेलwagecell@nic.in के माध्यम से

4. अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु लखनऊ।

5. उप श्रम आयुक्त (आई०आर०), मुख्यालय कानपुर।

6. उप श्रम आयुक्त (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।

7. श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।

8. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

(मार्कण्डेय शाही)
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।